न्यायालयः–सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :–श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 355/2015
प्रकरण दर्ज तिथि :– 06.10.2015
जीसीएमएस नम्बर :– 2015/00064
वादी

श्रवण कुमार पुत्र गुमनाराम जाति भाम्बी उम्र–वयस्क, निवासी–रामदेव कॉलोनी, बर तहसील–रायपुर,

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भूराराम पुत्र भंवरिया
2. दानाराम पुत्र भंवरिया
3. मनोहर पुत्र भंवरिया
4. पानी पुत्री भंवरिया
5. संतोष पुत्री भंवरिया
6. माड़ी देवी पुत्री भंवरिया
7. भूण्डाराम पुत्र बद्री जी
8. प्रकाश पुत्र बद्री जी
9. समीया पुत्री बद्री जी
10. तहसीलदार, रायपुर
11. उपपंजीयन अधिकारी, रायपुर
12. जिला कलक्टर, पाली

दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्त. अधि. एवं धारा 53" राज. टिनेंसी एक्ट

उपस्थित 1 श्री प्रकाशचंद एवं जसवंत सिंह अधिवक्ता वादी
2 एक पक्षीय कार्यवाही

निर्णय **दिनांकः 20.2.2024**

वादीगण की ओर से वकील श्री प्रकाशचंद द्वारा राजस्व वाद दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्त. अधि. एवं धारा 53'ए' राज. टिनेंसी एक्ट के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा बर पटवार हल्का बर, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र बर , तहसील रायपुर जिला पाली (राज) के खाता संख्या 391 नया 317 पुराना खसरा सं. 737 रक्बा 7 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल उपरोक्त खातेदारी जमीन की जमाबंदी व ट्रेस नक्शा वाद के साथ पेश किया गया है जिसे वाद का एक आवश्यक भाग समझा जावें। उक्त खातेदारी जमीन में से वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 07 से लगायत 09 के पिता बद्री जी से जरिये रजिस्टर्ड बेचान के 02 बीघा 17 बिस्वा जमीन खरीद की। खरीद के बाद वादी अपनी खरीदशुदा जमीन पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादी का जरिये नामान्तरकरण संख्या 2124, 2176 के वादी का राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज किया गया वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शा वाद के साथ पेश किया जा रहा है जिसे वाद का एक आवश्यक भाग समझा जावें। पद संख्या 01 में वर्णित जमीन वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी जमीन है जिसका मौके पर बंटवाड़ा हो रखा है लेकिन राजस्व रेकर्ड व नक्शे में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। डिक्री बहस वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर यह आदेश दिया जावे कि वाद के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बरान व संलग्न नजरी नक्शे अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा राजस्व रेकर्ड में करवाये जाने का आदेश फरमावे एवं ट्रेस नक्शे में अलग–अलग खसरा दर्ज करने का आदेश फरमावे एवं अलग–अलग पाल डोल कायम करवाई जावें एवं अलग–अलग लगान तय किया जावे। डिक्री बहक वादी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे की वाद के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बरान की जमीन में वादी के हस हिस्से के उपयोग, उपभोग, काश्त व काश्त मुतालिक समस्त कार्य करने में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व बाधा उत्पन्न नहीं करे और ना ही वादी को कब्जे से बेदखल आदि करे, और ना ही बिना बंटवाड़ा करवाये जमीन का बेचान–बख्शीश करें, ना ही वादी को उसके हक–हिस्से से बेदखल आदि करें, और ना ही किसी प्रकार का निर्माण आदि करें। इसके लिये प्रतिवादीगण स्वयं व उसके परिवार के सदस्यगण, नौकर–चाकर, हाली ऐजेण्ट इत्यादि को हमेशा के वास्ते पाबंद फरमावें। डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावे कि वाद के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बरान की जमीन बाबत् बिना बंटवाड़ा करवाये जमीन के बेचान दस्तावेज पेश करने पर उसका पंजीयन नहीं करावे। हमेशा के वास्ते पाबंद फरमावे।

अतः वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी मौके पर कब्जा काश्त रेकर्ड के अनुसार बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करने की प्रार्थना करते हैं। वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों पर बहस सुनी। वकील वादी माफिक रेकर्ड एवं मौका स्थिति अनुसार बंटवाड़ा हेतु सहमत हैं। अतः माफिक रेकर्ड एवं मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करने के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते हैं।

माफिक रेकर्ड एंव मौके एंव कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करनें हेतु तहसीलदार रायपुर को अधिकृत किया गया, तहसीलदार रायपुर ने विवादित भुमि का अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/219 दिनांक 07.02.2024 के द्वारा प्राथमिक डिक्री के आदेश की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जो निम्न हैं।

खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
428	1 श्रवणकुमार पुत्र गुमनाराम 2/3 हि 2 भूण्डाराम पुत्र बदरी 1/9 हि 3 प्रकाश पुत्र बदरी 1/9 हि 4 समीया पुत्र बदरी 1/9 हि	737/3	0.5302	बारानी अव्वल	3.28
	1 दानाराम पुत्र भंवरिया 1/6 हि 2 पानी पुत्री भंवरिया 1/6 हि 3 भूराराम पुत्र भंवरिया 1/6 हि 4 मनोहर पुत्र भंवरिया 1/6 हि 5 माडीदेवी पत्नि भंवरिया 1/6 हि 6 संतोष पुत्री भंवरिया 1/6 हि. कौम मेघवाल सा देह खातेदार	737/4	0.5301	बारानी अव्वल	3.26

बंटवाड़ा प्रस्ताव का वकील वादी द्वारा अवलोकन किया गया। बहस द्वारा सुनी गई। पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। वकील वादी बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा करने में सहमति व्यक्त की। अतः वकील वादी की सहमति के अनुसार तहसीलदार रायपुर द्वारा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित समझते है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

आदेश

अतः वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बर पटवार हल्का बर के वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न है :–

खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
428	1 श्रवणकुमार पुत्र गुमनाराम 2/3 हि 2 भूण्डाराम पुत्र बदरी 1/9 हि 3 प्रकाश पुत्र बदरी 1/9 हि 4 समीया पुत्र बदरी 1/9 हि	737/3	0.5302	बारानी अव्वल	3.28
	1 दानाराम पुत्र भंवरिया 1/6 हि 2 पानी पुत्री भंवरिया 1/6 हि 3 भूराराम पुत्र भंवरिया 1/6 हि 4 मनोहर पुत्र भंवरिया 1/6 हि 5 माडीदेवी पत्नि भंवरिया 1/6 हि 6 संतोष पुत्री भंवरिया 1/6 हि. कौम मेघवाल सा देह खातेदार	737/4	0.5301	बारानी अव्वल	3.26

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभावन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

अंतिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
बईजलास :– श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

वादी

श्रवण कुमार पुत्र गुमनाराम जाति भाम्बी उम्र–वयस्क, निवासी–रामदेव कॉलोनी, बर तहसील–रायपुर,

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भूराराम पुत्र भंवरिया
2. दानाराम पुत्र भंवरिया
3. मनोहर पुत्र भंवरिया
4. पानी पुत्री भंवरिया
5. संतोष पुत्री भंवरिया
6. माडी देवी पुत्री भंवरिया
7. भूण्डाराम पुत्र बद्री जी
8. प्रकाश पुत्र बद्री जी
9. समीया पुत्री बद्री जी
10. तहसीलदार, रायपुर
11. उपपंजीयन अधिकारी, रायपुर
12 जिला कलक्टर, पाली

दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 ', 188 राज. काश्त. अधि.

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री प्रकाशचन्द्र अधिवक्ता वादी मिनजानिव मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिव मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बर के वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न है :–

खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
428	1 श्रवणकुमार पुत्र गुमनाराम 2/3 हि 2 भूण्डाराम पुत्र बदरी 1/9 हि 3 प्रकाश पुत्र बदरी 1/9 हि 4 समीया पुत्र बदरी 1/9 हि	737/3	0.5302	बारानी अव्वल	3.28
	1 दानाराम पुत्र भंवरिया 1/6 हि 2 पानी पुत्री भंवरिया 1/6 हि 3 भूराराम पुत्र भंवरिया 1/6 हि 4 मनोहर पुत्र भंवरिया 1/6 हि 5 माडीदेवी पत्नि भंवरिया 1/6 हि 6 संतोष पुत्री भंवरिया 1/6 हि. कौम मेघवाल सा देह खातेदार	737/4	0.5301	बारानी अव्वल	3.26

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभावन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है।

नीज..................×...............मुवलिक..............×.............बावत्...........×............ खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....×...............फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल यावी तक ....×........................को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.02.2024 को जारी किया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)